आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03/07/17	कार्यालय अंचल अधिकारी नौडीहा बाजार, पलामू। .... विविध वाद संख्या – 05/2016–17 **गुप्तेश्वर राम** **बनाम** **नगीना भुईयां वगैरह** 1. आवेदक गुप्तेश्वर राम, पिता – स्व0 रामभजन राम, ग्राम – कुहकुह कला, पंचायत – ललगड़ा के आवेदन के अनुसार ग्राम करनीमा, पंचायत ललगड़ा में ग्राम कोलशहिता, थाना डुमरिया, जिला गया के निवासी श्री श्यामबिहारी प्रसाद एवं श्री रघुनन्दन प्रसाद पिता स्व0 असरग महतो से केवाला के माध्यम से 7.50 एकड़ भूमि खरीदगी की है। ये जमीन रैयत किस्म की है और केवाला सं0 1043,1044 के द्वारा 12 फरवरी 2009 में खरीदगी हुई है जिसका भी नामांतरण वाद संख्या 1506, 1507 वर्ष 2009 में हक हकीयत प्राप्त है। और 2009 से सरकारी लगान आज तक देते आ रहे है 2. श्री गुप्तेश्वर राम पिता स्व0 रामभजन राम का आवेदन है की रिसियापा निवासी	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	नगीना भुईयां	मुनारीक भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
2	कमलेश भुईयां	स्व0 महंग भुईया	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
3	सुरेन्द्र भुईयां	स्व0 महंग भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
4	सुरेश मोची	स्व0 रमेशर मोची	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
5	काली भुईयां	स्व0 बंधन भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
6	ठुरका भुईयां	स्व0 घुंशी भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
7	अशरेश भुईयां	स्व0 बनारसी भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
8	महेश भुईयां	स्व0 प्रगास भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
9	वरत भुईयां	स्व0 प्रगास भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
10	पन्नू भुईयां	स्व0 प्रगास भुइयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
11	भोला भुईयां	विलास भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।
12	विरवा भुईयां	स्व0 घनु भुईयां	ग्राम रिसियपा, पो0+थाना नौडीहा बाजार पलामू।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	3. के द्वारा उनकी भूमि पर 2010 ई0 के बाद से अवैध कब्जा किया गया ओर बाजबरजस्ती जोत कोड़ कर रहे हैं। आवेदक के जाने पर ये गाली ग्लोज पर उतारू हो जाते है। 4. दूसरी ओर विपक्षी का कहना है कि ये भूमि पिढ़ी दर पिढ़ी जोतते चले आ रहे है ओर ये उनकी खतियानी जमीन है सुलम प्रसंग हेतु खतियान का औलोकन किया जा सकता है। 5. सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्वाहों एवं साक्षों के क्षरा दिये गये दास्तावेज के अनुसार यह स्पष्ट है कि :– (क) विपक्षीगण का खतियानी भूमि होने के बावजूद अंचल का रेकड़ में कही उल्लेख नही है न तो रजिस्टर 2 में उल्लेख है और नही कभी रसीद कटी है। (ख) श्री श्यामबिहारी प्रसाद एवं रघुनन्दन प्रसाद पिता स्व0 असरंग महतो के सुनवाई के दौरान दिये गये ब्यान के अनुसार उक्त जमीन 1944 में नावा स्टेट से उनकी दादी को उक्त जमीन सरेंडर होकर बंदोबस्ती से मिली इसके पश्चात इन्हें नावा स्टेट के जमीनदार गोपाल बक्स राय वो जनेष्वर बक्स राय से रिटर्न भी प्राप्त है। जिसका क्षतिपूर्ती वाद सं0 02/53–54 साक्ष्य के तौर पर नावा स्टेट की जमीनदार रसीद और रिटर्न सुलभ प्रसंग हेतु देखा जा सकता है जो भी अखिलेख में संलग्न है। (ग) 1988 – 89 के नये सर्वे में भी दखल कब्जा और रिटर्न आदि के आधार पर श्याम बिहारी प्रसाद वगैरह का नाम दर्ज हुआ और चला आ रहा है। इसके नाम से बड़ा पर्चा भी जारी हुआ है। (घ) इस मुद्दे पर अनुमण्डल न्यायालय छत्तरपुर में धारा 144 का वाद चला जिसका वाद सं0 34/12 है इसमें भी अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध साक्षो के आधार पर आवेदक श्री गुपतेश्वर राम के पक्ष में फैसला दिया गया है। (ङ) उक्त वाद के पूर्व अपर समाहर्ता पलामू के न्यायालय में विविध वाद सं 14/2009–10 विपक्षीगणो के आवेदन पर चला जिसमें 30.	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

04.2015 को दिये गये फैसला के अनुसार विपक्षीगणों का दावा अस्वीकृत किया गया।

आदेश

वाद के सुनवाई के दौर तमाम ग्वाहों एवं ब्यानो के आधार पर ये बात स्पष्ट होती है कि उक्त करनीमा ग्राम की थाना 375 के अन्तर्गत खाता 04 के अन्तर्गत प्लौट सं0. 106, 107, 108, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 132, 136, 139, 142, 148, 152 एवं 155 एवं खाता 05 के प्लौट सं0 110, 116, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 140, 144 145, 150, एवं 153....... कुल रकबा 7.50 एकड़ भूमि विपक्षीगणो के पूर्वजो के नाम पर तथा कथीत पूर्वजो के नाम पर रही होगी परन्तु उक्त जमीन का रिर्टन में श्याम बिहारी प्रसाद के दादी का नाम यह साबित करता है कि उक्त जमीन सरेंडर हुई है और पुनः बंदोबस्त की गई है ओर तब से आवेदकगण एवं उनके विक्रेता शांतिपूर्ण कब्जे में चले आ रहे है।

अतः सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक के पक्ष मे फैसला दिया जाता है और विपक्षी के दावे को निरस्त किया जाता है। यह आदेश अगले किसी सक्षम प्राधिकार या न्यायालय के फैसला आने तक प्रभावी रहेगा।

लेखापित एवं संसोधित ।

03/07/17

अंचल अधिकारी
नौडीहा बाजार
पलामू

अंचल अधिकारी
नौडीहा बाजार
पलामू

अंचल अधिकारी
नौडीहा बाजार (पलामू)

Scanned with CamScanner